न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 30/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/75

प्रार्थी:–

दिनेशकुमार पुत्र अमृतलाल जाति सेवग ब्राहम्ण निवासी गुन्दोज, तहसील व जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. सोनीदेवी पत्नी मगराज जाति सेवग ब्राहम्ण निवासी गुन्दोज तहसील व जिला पाली
2. सरपंच, ग्राम पंचायत गुन्दोज तहसील पाली जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर अधिवक्ता श्री दिनेश मोहन शर्मा।

–: निर्णय :–

दिनांक : 04/04/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत गुन्दोज के मिसल संख्या 70/2004 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 3490 दिनांक 08.12.2004 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी ग्राम गुन्दोज का मूल निवासी है। प्रार्थी व्यवसाय के सिलसिले मे बैंगलोर मे रहता है। प्रार्थी का कब्जासुदा, स्वामित्वसुदा भूखण्ड ग्राम गुन्दोज मे सेवगो के मोहल्ले की आबादी मे आया हुआ है। उक्त भूखण्ड प्रार्थी को उसकी नानी ने दिनांक 13.03.1975 को जरिये पंजीकृत बक्शीस से बक्शीस किया था तब से लगायत आज दिन तक भूखण्ड पर प्रार्थी का ही कब्जा एवं स्वामित्व चला आ रहा है। चूंकि भूखण्ड का नाप 30 फीट गुणा 45 फीट है। जिसका 1/2 हिस्सा प्रार्थी के पिता अमृतलाल के पक्ष मे प्रार्थी की नानी ने बक्शीस किया था इस कारण उक्त भूखण्ड मे 1/2 हिस्सा ही प्रार्थी के पास शेष रहा जिसका नाप 15 फीट गुणा 45 फीट है। जिसके वर्तमान पड़ोस उतर दिशा में मोहनजी गर्ग, दक्षिण दिशा मे आम रास्ता व दरवाजा, पूर्व दिशा मे घीसुसिंह पुत्र हरदेवसिंह रावणा राजपूत का मकान, पश्चिम दिशा मे अमृतलाल सेवग यानि प्रार्थी के पिता का मकान अर्थात उक्त भूखण्ड का 1/2 हिस्सा नाप 15 फीट गुणा 45 फीट स्थित है। जैर निगरानी पट्टे के आवेदन पर हस्ताक्षर नहीं है, आदेशिका पूर्व से निर्धारित प्रारूप में छपी हुई है और उसमें भी दिनांक खाली छोडी हुई है। सभी

अति. जिला कलेक्टर पाली

आदेशिका एक साथ लिखी हुई है, नक्शा मौके पर सायल के हस्ताक्षर नहीं है और आपत्ति ईश्तिहार में भी रिपोर्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त मिसल के साथ बक्शीशनामा संलग्न है जिसके अुनसार 1975 में उक्त भूखण्ड का आधा हिस्सा हमारे पक्ष में है उसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत ने दूषित प्रक्रिया अपनाते हुये अप्रार्थी के पक्ष में विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी ने विधिनुसार ग्राम पचांयत के समक्ष आवेदन पेश किया, जिस पर उन्होनें सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना करते हुये अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत के आन्तरिक प्रक्रिया की जानकारी अप्रार्थी को नहीं होती है यदि उसमें कोई कमी रह जाती है तो उसके लिये अप्रार्थी दोषी नहीं है। जैर निगरानी पट्टे का मालिकाना हक एवं कब्जा अप्रार्थी के पास ही है। इसलिये प्रार्थी द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत गुन्दोज के मिसल संख्या 70/2004 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 3490 दिनांक 08.12.2004 के विरूद्ध पेश की है। राज पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत न्यायालय द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का परीक्षण किया जाना है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नहीं किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15 दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 147 के तहत अंतिम विनिश्चिय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने का नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है तथा नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपुर्द करने के प्रावधान है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान है। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की

अति. जिला कलेक्टर, पाली

तिथि को 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन के प्रावधान है। नियम 159 के तहत भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन तथा नियम 160 के तहत अनुमोन के अध्यधीन अन्तरण और आवंटन के प्रावधान उल्लेखित है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उस पर न तो अप्रार्थी के हस्ताक्षर है, न ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक अंकित है और न ही प्रार्थना पत्र के साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत किया गया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि किसी भी आदेशिका पर दिनांक अंकित नहीं है अर्थात् सम्पूर्ण आदेशिका बिना दिनांक की है। इसके अतिरिक्त प्रथम आदेशिका में सचिव को नक्शा बनाने हेतु आदेशित किया गया परन्तु प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित नक्शे पर सायल के हस्ताक्षर ही नहीं है साथ ही उक्त नक्शा कब बनाया गया, के सम्बन्ध में किसी भी दिनांक का अंकन नहीं है। हस्तगत मिसल की द्वितीय आदेशिका के द्वारा तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने हेतु आदेशित किया गया, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हे नामित नहीं किया गया। भूमि निरीक्षण प्रपत्र में केवल सरपंच के हस्ताक्षर है, मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त किसी भी पंच के हस्ताक्षर नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इन प्रकरणों में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान साइक्लोस्टाईल में दर्ज है तथा एक बयान कान्तीलाल के द्वारा दिया गया परन्तु उस पर कान्तीलाल एवं एल.एम.सोनी हस्ताक्षर है। इसी प्रकार दुसरे बयानफार्म में बयानकर्ता का नाम रिक्त है परन्तु उस पर कान्तीलाल एवं एल.एम.सोनी हस्ताक्षर है तथा दोनों बयानफार्म पर बयान दिये जाने की दिनांक अंकित नहीं है। साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव हैं। नियम 148 के तहत आपत्ति इश्तिहार प्ररूप–XXII में आक्षेप आमन्त्रित करते हुये प्रकाशित करना था जबकि ग्राम पंचायत ने नियम 260 फार्म संख्या 50 के तहत आपत्ति इश्तिहार जारी कर दिया तथा आपत्ति इश्तिहार का सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में न तो कोई रिपोर्ट अंकित है

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

और न ही किसी गवाह के हस्ताक्षर है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत गुन्दोज के मिसल संख्या 70/2004 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 3490 दिनांक 08.12.2004 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 05/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली